तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 170 / 2024

पीठासीन अधिकारी –कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थीगण – 1.नियाजअली 2.रहमान पि.संईया 3.जनी पत्नि संईया 4. रहीम पुत्र संईया 5.मीरखान पुत्र रमजान, जातियान मुसलमान निवासी रमदान की बस्ती (नवातला राठौड़ान), तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.गुलाम पुत्र वहीया 2.शेरखान पुत्र रमजान जातियान मुसलमान, निवासी रमदान की बस्ती तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर 3.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – **श्री मीठूखान समेजा**
विप्रार्थीगण वकील – **श्री मेहराराम सारण**

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी चौहटन)

निर्णय

दिनांक :– 11.03.2025

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत ग्राम रमदान की बस्ती (नवातला राठौड़ान) तहसील धनाऊ में खसरा सं. 282 / 8 रकबा 12.9499 हैक्टयर एवं खसरा सं. 281 / 8 रकबा 14.0830 हैक्टयर के आये हुए है। जिसका मूल खसरा सं. 8 था, उ[illegible] खसरे का विभाजन होकर अलग तरमीम की गई । प्रशासन गांवों के संग अभियान में तरमीम के वक्त मौके पर कब्जे काश्त एवं ढाणी से भिन्न गलत तरमीम कर दी गई। जिससे नक्शे में की गई तरमीम मौके से भिन्न की गई जिससे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये की गई तरमीम कब्जे, बंटवाडे के विपरीत किया गया इन्द्राज अवैध व गैर कानूनी होने से मौके पर स्थित कब्जा, ढाणी व माठ अनुसार तरमीम दुरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.03.21 13:39:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो

करवाने का प्रार्थीगण हकदार है। इसलिए प्रार्थीगण ने आवेदन पेश कर मौजा रमदान की बस्ती (नवातला राठौड़ान) तहसील धनाऊ के खसरा सं. 282/8 एवं 281/8 की तरमीम मौके पर स्थित कब्जा एवं ढाणी माठ अनुसार दुरस्त करने की इस्तदुआ चाही है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मेहराराम ने वकालतनामा पेश किया। तरमीम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार धनाऊ से की गई । तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी वकील ने प्रार्थी के आवेदन का जवाब पेश कर तरमीम दुरस्ती हेतु सहमति प्रदान की ।

पत्रावली पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुए। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। तहसीलदार धनाऊ द्वारा अपनी रिपोर्ट म परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा रमदान की बस्ती (नवातला राठौड़ान) तहसील धनाऊ में खसरा सं. 282/8 रकबा 12.9499 हैक्टयर एवं खसरा सं. 281/8 रकबा 14.0830 हैक्टयर भूमि की तरमीम तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में सलंग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.03.21 13:39:35 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन